अनुदान संख्या 29 – वित्तीय सेवाएं विभाग
GRANT No. 29 - DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	1305,16,00		1678,99,00	1035,41,29	-643,57,71
पूरक	Supplementary	373,83,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					641,23,15
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	73935,04,00		82205,04,00	82198,11,00	-6,93,00
पूरक	Supplementary	8270,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					6,91,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹64357.71 लाख) मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹37383.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 38 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹64357.71 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹37383.00 lakhs obtained in March, 2020 and constituted 38 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	6493.00			
पू.	S.	259.00	6038.90	5964.87	-74.03
पु.	R.	-713.10			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	13827.00			
पू.	S.	1317.00	14951.80	14814.60	-137.20
पु.	R.	-192.20			
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	55191.00			
पू.	S.	5808.00	59136.00	59136.00	..
पु.	R.	-1863.00			
मुख्य शीर्ष "2416" कृषि वित्तीय संस्थाएं	Major Head "2416" Agricultural Financial Institutions				
मू.	O.	2086.00	86.00	85.45	-0.55
पु.	R.	-2000.00			
मुख्य शीर्ष "2885" उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head "2885" Other Outlays on Industries and Minerals				
मू.	O.	3.00			
पू.	S.	29999.00	21000.00	21000.00	..
पु.	R.	-9002.00			
मुख्य शीर्ष "3465" सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाएं	Major Head "3465" General Financial and Trading Institutions				
मू.	O.	51502.00	1500.00	1500.00	..
पु.	R.	-50002.00			

(I) ₹53005.00 लाख का प्रावधान छह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹53002.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :—

(का) मुख्य शीर्ष "2235" — "अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम — अन्य बीमा स्कीमें — प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रचार/जागरूकता उत्पन्न करने के लिए वित्तपोषण सहायता" — ₹1000.00 लाख — प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रोत्साहन के लिए मीडिया प्रचार हेतु कम निधियों के आवश्यकता के कारण।

(खा) मुख्य शीर्ष "2416" — "राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) — राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) को अंशदान" — ₹2000.00 लाख — नाबार्ड के पास अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण।

(गा) मुख्य शीर्ष "3465" — "सामान्य वित्तीय संस्थाएं — सामान्य वित्तीय संस्थाओं को सहायता — राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी को सहायता" — ₹50002.00 लाख — सीजीएफएमयू के कोष को बढ़ाने के लिए यू.के. सिन्हा समिति की सिफारिशों को स्वीकृति न मिलने के कारण।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाये अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा :—

(का) मुख्य शीर्ष "2052" — "सचिवालय — वित्तीय सेवाएं विभाग" — ₹6493.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹259.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹6752.00 लाख किया गया। तथापि, ₹787.13 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) — विज्ञापन तथा प्रचार, विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अपग्रेडेशन के लिए निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने और एमएस—ऑफिस सॉफ्टवेयर की अधिप्राप्ति के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(I) Provision of ₹53005.00 lakhs remained wholly unutilized under six heads; of these ₹53002.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programmes - Other Insurance Schemes - Funding support for publicity/awareness building for Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojna (PMSBY)" - ₹1000.00 lakhs - due to requirement of less funds towards media campaigns for promotion of PMJJBY and PMSBY.

(B) Major Head "2416" - "National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) - Contribution to National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)" - ₹2000.00 lakhs - due to availability of unspent balances with NABARD.

(C) Major Head "3465" - "General Financial Institutions - Assistance to General Financial Institutions - Assistance to National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC)" - ₹50002.00 lakhs - due to non-receipt of acceptance of U.K. Sinha committee recommendations towards augmentation of corpus of CGFMU.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilized as shown against each:-

(A) Major Head "2052" - "Secretariat - Department of Financial Services" - the original provision of ₹6493.00 lakhs was augmented to ₹6752.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹259.00 lakhs. However, there was a saving of ₹787.13 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards advertisement and publicity, non-finalization of tender for up-gradation of video conferencing and procurement of MS-Office software.

(खा) मुख्य शीर्ष "2070" – "निदेशन और प्रशासन – ऋण वसूली अधिकरण" – ₹12504.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹260.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹12764.00 लाख किया गया। तथापि, ₹329.40 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(B) Major Head "2070" - "Direction and Administration - Debts Recovery Tribunals (DRTs)" - the original provision of ₹12504.00 lakhs was augmented to ₹12764.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹260.00 lakhs. However, there was a saving of ₹329.40 lakhs (including supplementary grant) - due to non-filling up of vacant posts.

(III) मुख्य शीर्ष "2885" – "औद्योगिक वित्तीय संस्थाएं – औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को सहायता – विशिष्ट परिसंपत्ति स्थिरीकरण निधि को जारी प्रतिभूतियों का मोचन" – ₹1.00 लाख के मूल प्रावधान को बढ़ाकर ₹30000.00 लाख किया गया जो, तथापि, ₹9000.00 लाख की सीमा तक – कार्यान्वयन एजेंसियों से कम दावे प्राप्त होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(III) Under Major Head "2885" - "Industrial Financial Institutions - Assistance to Industrial Financial Institutions - Redemption of Securities issued to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF)" - the original provision of ₹1.00 lakh was augmented to ₹30000.00 lakhs which, however, remained unutilized to the extent of ₹9000.00 lakhs - due to receipt of less claims from the implementing agency.

(IV) मुख्य शीर्ष "2235" – "अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम – सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के अंतर्गत पेंशन – भारतीय जीवन बीमा निगम को वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना हेतु भुगतान" – ₹8423.00 लाख की बचत (₹33690.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसी (एलआईसी) से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programmes - Pension under Social Security Schemes - Payment to Life Insurance Corporation of India for Pension Plan for Senior Citizens" - saving of ₹8423.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹33690.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the implementing agency (LIC).

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹373.94 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 27 प्रतिशत थी।

(V) Under one head saving of ₹373.94 lakhs occurred constituting 27 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2235" – "अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम – सामाजिक सुरक्षा स्कीमों के अंतर्गत पेंशन – अटल पेंशन योजना" – ₹7561.00 लाख का अधिक व्यय (₹5808.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹26308.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण से अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head "2235" - "Other Social Security & Welfare Programmes - Pension under Social Security Schemes - Atal Pension Yojna (APY)" - excess of ₹7561.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹26308.00 lakhs including supplementary grant of ₹5808.00 lakhs) due to receipt of more claims from Pension Fund Regulatory and Development Authority.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ :–

3. In the capital section of the grant savings/ excess occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5465"	Major Head "5465"				
सामान्य वित्तीय और व्यापार संस्थाओं में निवेश	Investments in General Financial and Trading Institutions				
मू.	O.	7000003.00			
पू.	S.	250000.00	7250002.00	7250000.00	-2.00
पु.	R.	-1.00			

(I) ₹3.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹3.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads.

(II) मुख्य शीर्ष "5465" के अंतर्गत – "सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रम बैंकों आदि में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सरकारी प्रतिभूति (बांड) जारी करके पुनर्पूंजीकरण" – ₹455700.00 लाख की बचत (₹7000000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) – सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(II) Under Major Head "5465" - "Investment in General Financial Institutions - Investments in Public Sector and Other Undertaking Banks etc. - Recapitalization of Public Sector Banks through issue of Government Securities (Bonds)" - saving of ₹455700.00 lakhs (against sanctioned provision of ₹7000000.00 lakhs) - due to requirement of less funds towards recapitalisation of public sector banks.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹455700.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि नवंबर, 2019 में मुख्य शीर्ष "5465" – "सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों बैंकों आदि में निवेश – पुनर्पूंजीकरण बांड (प्रतिभूति) जारी करके आईडीबीआई बैंक लिमिटेड में पूंजी दिया जाना" के अंतर्गत ₹250000.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

4. The above savings were partly (₹455700.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grant of ₹250000.00 lakhs in November, 2019 under Major Head "5465" - "Investment in General Financial Institutions - Investments in Public Sector and Other Undertakings Banks etc. - Capital infusion in IDBI Bank Limited through issuance of re-capitalisation bonds (Securities)".